भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3948**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमेरिकी टैरिफ और कर नीति

3948. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली अमेरिका की टैरिफ और कर नीतियों में हाल के परिवर्तनों पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि प्रस्तावित व्यापार व्यवस्था के परिणामस्वरूप भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच असमान कर दायित्व उत्पन्न होते हैं और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) क्या भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से कपड़ा, कृषि और एमएसएमई ने प्रस्तावित समझौते के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में चिंता व्यक्त की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ताओं को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का हाल के नीतिगत बदलावों और अनिश्चितताओं को देखते हुए प्रस्तावित अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को स्थगित रखने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या भारत का पारस्परिकता, घरेलू उद्योगों के संरक्षण और निष्पक्ष कराधान सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए समझौते पर फिर से बातचीत करने का इरादा है और यदि हाँ, तो इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) एवं (घ) भारत सरकार, निर्यातकों और उद्योग जगत सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर अमेरिका (यू.एस.) द्वारा लागू किए गए टैरिफ उपायों के भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से कार्य कर रही है। इस कार्यनीति में भारत-अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन बातचीत, आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत,

निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, निर्यातकों को सहायता और समर्थन प्रदान करने वाले नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात प्रोत्साहन उपाय, नए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करना और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना शामिल है। इस बात की अपेक्षा की जाती है कि इन उपायों से भारत के व्यापारिक संबंधों में विविधता और मजबूती भी बढ़ेगी।

(ख) और (ग) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 फरवरी 2026 को एक व्यापार समझौते की घोषणा की। इसके लिए एक संयुक्त वक्तव्य 7 फरवरी 2026 को जारी किया गया। दिनांक 7 फरवरी 2026 को, भारत द्वारा रूसी तेल के आयात का हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा भारत के कुछ निर्यातों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त मूल्य-आधारित टैरिफ हटा दिए गए। अंतरिम समझौते के समापन के अधीन, अमेरिका भारतीय वस्तुओं, जिनमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प उत्पाद, कुछ मशीनरी आदि शामिल हैं, को अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा, अमेरिका रत्न और हीरे, विमान के पुर्जे, सामान्य दवाएं, कुछ मशीनरी और पुर्जे, वनस्पति रस, कुछ उपकरण और यंत्र, कुछ प्लास्टिक और रबर, कुछ ऑटो पुर्जे आदि जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर भारत पर अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 0% कर देगा। यह समझौता संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए, अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करके समुद्री उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, वस्त्रों, चमड़े और हस्तशिल्प में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यात को बढ़ावा देगा। डेयरी और कृषि जैसे सभी संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा की गई है। अंतरिम व्यापार समझौते से संबंधित जानकारी निम्नलिखित वेब लिंक पर भी उपलब्ध है: https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2026/03/FTAs-achievement.pdf

(ड) और (च) दिनांक 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारस्परिक टैरिफ को अमान्य घोषित करने वाले फैसले के अनुसार, पारस्परिक टैरिफ अब लागू नहीं हैं। अमेरिकी सरकार ने सभी देशों से कुछ उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। सरकार इसके बाद के सभी घटनाक्रमों के निहितार्थों का अध्ययन कर रही है और अमेरिकी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है।
